पत्रांक–12 / न०वि०(अंकेक्षण)–01 / 2025 1974 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार
संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् / पंचायत।

पटना, दिनांक 11/07/25

विषयः– **बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के नियम 127, 128 एवं 129 के अनुसार कर संग्रहण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के नियम 127 के आलोक में निम्नांकित कर संग्रहण करने का प्रावधान हैः–

1. जमीनों (खाली पड़ी जमीनों सहित) और भवनों पर सम्पत्ति कर।
2. भूमियों और भवनों के स्थानान्तण पर अधिभार
3. किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थल के अभाव पर कर।
4. जलकर
5. अग्निकर
6. समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त विज्ञापन पर कर।
7. मनोरंजन पर अधिभार।
8. नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत अधिभोग पर अधिभार
9. सभाकर
10. तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों पर कर
11. मार्गकर

(क) सड़कों, पुलों तथा फेरी (घाट–शुल्क) पर
(ख) किसी सार्वजनिक सड़क पर चलाये जाने वाला (अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाई जानेवाली नियमावली के अधीन यथा उपबंधित) मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अर्थ के अन्तर्गत भारी ट्रक जो भारी मालवाहक वाहन होगा तथा बसें जो यात्रि वाही भारी मोटरवाहन पर होगा।
(ड) संचार मीनार अथवा सम्बन्धित संरचना / डिस्क एनटेना।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के नियम 128 के आलोक में निम्नांकित शुल्कों की उगाही करने का प्रावधान हैः–

1. जलापूर्त्ति, जल निकास एवं मल निकास की व्यवस्था
2. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन
3. विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न अवधियों विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग

4. सार्वजनिक पथों पर किसी भी प्रकार के निर्माण, फेरबदल, मरम्मति अथवा ध्वंस करने के कार्य के लिए सामग्री अथवा कूड़ाकरकट का अम्बार।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के नियम 129 के आलोक में निम्नांकित शुल्क एवं जुर्माना लगाने का प्रावधान है:–

(क) भवन नक्शा की मंजूरी और उसको पूरा करने का प्रमाण–पत्र निर्गत करना।

(ख) भूमि एवं भवन के विभिन्न गैर आवासीय प्रयोगों हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निर्गत करना।

(ग) निम्नलिखित की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)

- (i) नलसाज एवं सर्वेक्षक जैसे व्यावसायिक विभिन्न कोटियों की बिक्री,
- (ii) नलकूप धसाना, मांस, मछली या कुक्कुट अथवा वस्तुओं की फेरी लगाने जैसे विभिन्न कार्य कलाप
- (iii) विज्ञापनो के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजार, बूचड़खाना, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, कारखाना, भंडार गृह, गोदाम, माल परिवहन डिपो, भोजनालय, आवासगृह, होटल थियेटर, सिनेमा भवन के लिए प्रयुक्त परिसरों तथा सार्वजनिक मनोरंजन और अन्य गैर–आवासीय प्रयोजनों के स्थल
- (iv) पशुओं,
- (v) ठेला अथवा गाड़ी
- (vi) ऐसे अन्य क्रिया–कलापों, जिनमें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति की आवश्यकता हो

(घ) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करना।

परंतु अधिकाश नगर निकाय द्वारा सिर्फ होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाती है तथा नियम 128 एवं 129 के आलोक में राजस्व संग्रहण की कार्यवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा भी आपत्ति व्यक्त की गई है।

अतः निदेश दिया जाता है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष से सभी नगरपालिका अपने क्षेत्रान्तर्गत बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के नियम 127, 128 एवं 129 के अनुसार कर संग्रहण प्रारम्भ करना तथा उक्त सुचना से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

11/7/25

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।